

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, भागलपुर

पत्रांक - 715

/भागलपुर

दिनांक - 30/05/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, भागलपुर।

सेवा में,

मणिकान्त मिश्रा
सबौर, भागलपुर।

विषय : पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गुणवत्ता पूर्ण पंचवर्षीय
अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर पूर्ण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना शीर्ष MMGSY(SC) के अधीन राधानगर सजौर पथ
से मुस्लिम टोला पथ, जिसकी लम्बाई- 1.272 कि०मी० है, का निर्माण कार्य पूर्ण किये
जाने के बाद पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य भी करना एकरारित है।

अतः एकरारनामा के प्रावधान एवं मानक के अनुरूप तीन दिनों के अन्दर
अनुरक्षण कार्य पूर्ण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि
आपके द्वारा कार्य करने में शिथिलता या असमर्थता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया
जाता है, तो आपके एकरारनामा को विखण्डित करने एवं अग्रधन तथा SD, PSD की
राशि जब्त करते हुये निबंधन को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
आपके द्वारा निर्धारित समय में, अनुरक्षण कार्य नहीं करने की स्थिति में पंचवर्षीय
अनुरक्षण का कार्य विभागीय तौर पर संपादित किया जायेगा। इस कार्य में अतिरिक्त
व्यय होने वाली राशि आपसे वसूल वसुल की जायेगी।
इसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, भागलपुर